

## फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला-उदयपुर

प्रार्थी :- श्रीमती शान्तिबाई  
किस्म मुकदमा - 136 भू.रा.अधि.

विपक्षी :- राज्य  
पत्रावली संख्या : 124 / 24  
जीसीएमएस : 2024 / 484

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हराबार पट्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 30.01.2025</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीया उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा 50 पचास रुपये स्टाम्प पर शांतिबाई, सत्यनारायण, रामलाल, किशनलाल, भेरूलाल, संतोष, मुकेश चन्द्र, भंवरलाल के शपथ पत्र की फोटो प्रति पेश की। शामिल फाईल रहे। अधिवक्ता प्रार्थीया की बहस सुनी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थीया की बहस पर मनन किया। प्रार्थीया द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीया का नाम सेणाबाई पुत्री गेहरीलाल ब्राह्मण गलत अंकित होना बताया जिसे दुरुस्त किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में 50/- रुपये स्टाम्प पर शांतिबाई, सत्यनारायण, रामलाल, किशनलाल, भेरूलाल, संतोष, मुकेश चन्द्र, भंवरलाल के शपथ पत्र की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, पासपोर्ट की प्रति, ग्राम पंचायत जावड द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 09.09.2024 की फोटो प्रति प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र दस्तावेज में प्रार्थीया का नाम शान्तिबाई पिता गेहरीलाल अंकित है। तहसीलदार घासा द्वारा भी रिपोर्ट पेश कर सेणाबाई पिता गेहरीलाल एवं शांतिबाई पिता गेहरीलाल दोनो एक ही महिला होना बताया। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं तहसीलदार घासा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।</p> <p style="text-align: center;"><b>-: आदेश :-</b></p> <p>परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा जावड पटवार हल्का जावड तह. घासा की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2077-80 के खाता संख्या 345, 415, 362, 332, 254, 135, 183 भूमि में खातेदार सेणाबाई पुत्री गेहरीलाल के बजाय सेणाबाई उर्फ शांतिबाई पुत्री गेहरीलाल संशोधन किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार घासा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"><b>(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)</b> उपखण्ड अधिकारी मावली</p>	

